

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्र./शि.क./बी/संवि./44/2009/ 831

भोपाल, दिनांक 15/10/09

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकास से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन के कालम-5 तथा तालिका, के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अन्तर्जिला संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती नजमा खान सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. गीलाखेड़ी जिला-राजगढ़	AU5729	23300311101	जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ जा.क्र. 157 दि. 3.9.09	जनपद पंचायत फुन्दा जिला-भोपाल जा.क्र. 3048 दि.11.09.09 शा.प्रा.शा.चन्दुखेड़ी	23320217403
2	श्री मनोज कुमार मीणा अध्यापक (विकलांग) शा.कन्या हाईस्कूल माचलपुर जिला- राजगढ़	AU5932	23300666603	नगर पंचायत माचलपुर जिला-राजगढ़ जा.क्र. 9588 दिनांक 17.09.09	नगर पंचायत चाचोड़ा जिला- गुना जा.क्र. 904 दि. 23.09.09 शा.क.उ.मा.वि. चाचोड़ा शा.उ.मा.वि. बीनागंज	23070477702
3	श्रीमती निशा पटेरिया अध्यापक शा.न.मा.शा. धजरई जिला- टीकमगढ़	BD6542	23080603502	जिला पंचायत टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ जा.क्र. 2614 दि. 22.07.09	नगरपालिका निगम सागर जिला - सागर जा.क्र. 65 दि. 07.08.09 शा.एम.एल.बी.क.उ.मा.वि.क्र.2 शा.हाईस्कूल विठ्ठल नगर	23111077703
4	श्रीमती आरती उड़के अध्यापक शा.न.मा.शा. गोदागांव कला जिला -हरदा	AL4122	23360202602	जिला पंचायत हरदा जिला- हरदा जा.क्र. 6355 दिनांक 13.08.09	जिला पंचायत बैतूल जिला - बैतूल जा.क्र. 8140 दि.1.10.09 शा.न.मा.शा. हाडीपानी	23351002902
5	श्रीमती अर्चना सोनी सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. पंथमूण्डला जिला देवास	BH1915	23230116901	जनपद पंचायत देवास जिला- देवास जा.क्र. 2823 दिनांक 28.08.09	जनपद पंचायत राजगढ़ जिला राजगढ़ जा.क्र. 2280 दि. 17.09.09 शा.प्रा.वि. धामदा	23300405703
6	श्रीमती कल्पना रावत अध्यापक शा.न.मा.शा. विक्रमपुर जिला -पन्ना	AS8611	23100302101	जिला पंचायत पन्ना जिला- पन्ना जा.क्र. 2012 दिनांक 12.08.09	जिला पंचायत सागर जिला - सागर जा.क्र. 1150 दि.14.9.09 शा.बेसिक हाईस्कूल देवरी शा.हाईस्कूल चितौरा	23110666601
7.	श्रीमती सरिता सिंह अध्यापक शा.हाईस्कूल पोड़ीकला (बी) जिला-कटनी	AN8665	23380666602	जिला पंचायत कटनी जिला कटनी जा.क्र. 336 दि.05.10.09	नगरपालिका परिषद सीहोरा जिला-जबलपुर जा.क्र. 456 दि. 29.9.09 शा.उ.मा.वि. सीहोरा	23390777701

संविलियन की शर्त :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।



2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन-संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्त होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 की भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला-शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में प्रारित निर्णय के अध्यापक की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।


"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 15/10/09

पृ.क्र./शि.क./बी/संवि./44/2009/ 832
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश